

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
Baba Gangnath Marg /बाबा गंगनाथ मार्ग,
Munirka/मुनिरका, नई दिल्ली/New Delhi -110067
Website-cic.gov.in

File No.3/1/2022/Dak Section
CICOM/R/P/22/00045

Date: 11-02-2022

सेवा में,



विषय - RTI एक्ट २००५ के तहत सूचना प्रदान करना।

ED008567724IN

महोदय,

श्री नवीन कुमार, के आरटीआई आवेदन दिनांकित 17-01-2022 का उल्लेख कर रहा हूं, जिसे नंबर सी.आई.सी.ओ.एम/आर/पी/22/00045 के तहत पंजीकृत किया गया है। यह आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ को आर.टी.आई-सेल से ऑनलाइन आर.टी.आई-एम.आई.एस के माध्यम से दिनांक 31-01-2021 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी निम्नलिखित है:-

केंद्रीय सूचना आयोग के सॉफ्टवेयर अप्पस्कोम पर दर्शाए गए विवरण के अनुसार श्री नवीन कुमार द्वारा दिनांक 26-10-2021 को प्रेषित पत्र डायरी संख्या 146545 के तहत दिनांक 01.11.2021 को डायरी किया गया जिसे आगे की कार्यवाही हेतु कंप्लायंस सेल को प्रेषित किया गया। आगे की जानकारी हेतु RTI Act की धारा 5 (4) के तहत अनुभाग अधिकारी व केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, CR-II को अनुरोध किया गया। उनसे प्राप्त पत्र संख्या CICOM/R/P/22/00045 की प्रतिलिपि आपके अवलोकन हेतु संलग्न है।

चूंकि मामला आदरणीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमान वाई. के. सिन्हा की रजिस्ट्री के उप-पंजीयक से सम्बंधित है। अतः आगे की कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आपके आर. टी. आई आवेदन को आदरणीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमान वाई. के. सिन्हा की रजिस्ट्री के उप-पंजीयक श्रीमान एस. के. चितकारा को भेजा जाता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आवेदक उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह श्री अजीतकुमार वसंतराव सौताके, निदेशक (कानून) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत पहली अपील दायर कर सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर 011-26162290 है।

राष्ट्रपति
(राम पाल सिंह) 11/02/22

डाक अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि

1. DR to Hon'ble CIC(YS)

-सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (आरटीआई आवेदन की प्रति संलग्न है।)

2. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई सेल केंद्रीय सूचना आयोग

- सूचनार्थ